

**न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

मामला सं. 394 और वर्ष 2018

- ✓ यशराज डवलपर्स पंजी. कार्या. 4354, नथमलजी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जौहारी बाजार, जयपुर।  
मैसर्स गोकुल कृष्ण कॉलोनाइजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

..... आवेदक

**विषय:-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 17-5-18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुमति देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्टर में	किस्म जमीन	स्वामित्व
तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	हरबंशपुरा	25	रकवा 0.68 हैक्टर. में से रकवा 0.545 हैक्टर.	चाही 1	यशराज डवलपर्स पंजी. कार्या. 4354, नथमलजी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जौहारी बाजार, जयपुर।
		26	रकवा 0.15 हैक्टर में से रकवा 0.05 हैक्टर.	चाही 1	मैसर्स गोकुल कृष्ण कॉलोनाइजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
		27	0.88	चाही 1	मैसर्स गोकुल कृष्ण कॉलोनाइजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय 36, लक्ष्मी नारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
		कुल किता 3	कुल रकवा 1.475 हैक्टर.		

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जामाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्पर्क लूप से अनुप्रस्तुति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैंप, अभिन्यास योजना, संवेदन नवका और अन्य सुनिश्चित दस्तावेज़ प्रत्युत किये हैं।
3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेज़ों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मैंनी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए यांचित उपयोग मास्टर योजना / स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-के और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदनुगत बनाये गये नियमों के उपर्योगों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि याम डरबंशपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नवका 25 रकवा 0.68 हैक्टर. में से रकवा 0.545 हैक्टर. ख.नं. 26 रकवा 0.15 हैक्टर में से रकवा 0.05 हैक्टर. (तरसीम किया गया नवका निर्णय का अभिन्न होगा) ख.नं. 27 रकवा 0.88 हैक्टर. कुल किता 3 रकवा 1.475 हैक्टर. भूमि पर आवेदक के अधिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निवापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यविधाता को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियम, नियमों या उप-विधि के अनुसार आवेदन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाशन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्वापण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निष्क्रिय और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पर्क आवेदन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवधानों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविग्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात जारी किया जा रहा है।  
यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के इस्तेवाक्षर और भूर के अधीन आज दिनांक 17-5-18 को पास्ति किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)  
प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जमीन-प्रीमियम  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

17-5-18 दिनांक प्राप्ति क्रमांक

क्रमांक: जविग्रा/उपा. /जोन-11/2018/प्र-1792

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेशित की गयी—

- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वान्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 331859 दिनांक 20.4.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)  
प्राधिकरण अधिकारी उपायुक्त जमीन-प्रीमियम  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अमरसिंहदेवी

Director